<u>LEGISLATIVE ASSEMBLY</u> NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI REVISED LIST OF BUSINESS

Thursday, 09 August 2018 / 18 Shraavan 1940 (*Saka*) 2.00 PM

1. Question Hour:

Starred Questions as shown in the separate list to be asked and replies given.

2. Paper to be laid on the Table:

Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Transport to lay copies of the Annual Report of Delhi Metro Rail Corporation Limited for the year 2016-17 (Hindi & English) on the Table of the House.

3. Special Mention (Rule-280):

The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

1. Ms. Alka Lamba

2. Sh. Akhilesh Pati Tripathi

3. Sh. Vijender Gupta

4. Sh. Adarsh Shastri

5. Sh. Pawan Kumar Sharma

6. Sh. Surender Singh

7. Ms. Bhavna Gaur

8. Sh. Saurabh Bharadwaj

9. Sh. Ajay Dutt

10. Sh. Gulab Singh

4. Presentation and voting on the Supplementary Demands for the year 2018-19:

Hon'ble Deputy Chief Minister to present the First Batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2018-19.

5. Introduction, Consideration and Passing of Bill:

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister to introduce 'The Delhi Appropriation (No.3) Bill, 2018' (Bill No. 04 of 2018) with the leave of the House. Also to move that the Bill be considered and passed.

6. Short Duration Discussion (Rule-55) continued:

Discussion on the following Short Duration Discussion initiated by **Sh. Adarsh Shastri** on 07 August 2018 to continue:

'Supreme Court Judgment on powers of elected Govt. of Delhi'.

Delhi C. Velmurugan 09 August 2018 Secretary

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

संशोधित कार्यसूची

वीरवार, 09 अगस्त, 2018 / श्रावण 18, 1940 (शक)

2.00 बजे अपराहन

- 1. प्रश्न कालः सदस्यों द्वारा पृथक् सूची में दिये गये तारांकित प्रश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे।
- 2. सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागज़ात :

श्री कैलाश गहलोत, माननीय परिवहन मंत्री दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन (2016–17) की हिन्दी—अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

- 3. विशेष उल्लेख (नियम—280) : निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम—280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे:—
 - 1. सुश्री अलका लाम्बा
 - 2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
 - 3. श्री विजेन्द्र गुप्ता
 - 4. श्री आदर्श शास्त्री
 - 5. श्री पवन कुमार शर्मा
 - 6. श्री सुरेन्द्र सिंह
 - 7. स्श्री भावना गौड़
 - श्री सौरभ भारद्वाज
 - 9. श्री अजय दत्त
 - 10. श्री गुलाब सिंह
- 4. वर्ष 2018—19 हेतु अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण तथा पारित करना :

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री वित्तं वर्ष 2018—19 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का पहला भाग प्रस्तुत करेंगे।

5. विधेयक का पुर:स्थापन, विचार करना तथा पारित करना :

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री सदन की अनुमित से **'दिल्ली विनियोग (संख्या—03) विधेयक, 2018'** (2018 का विधेयक संख्या 04) को पुरःस्थापित करेंगे।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये तथा पारित किया जाये।

6. अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) जारी:

श्री आदर्श शास्त्री द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2018 को प्रारम्भ निम्नलिखित अल्पकालिक चर्चा जारी रहेगी :

"दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय"

दिल्ली 09 अगस्त, 2018 सी. वेलमुरूगन सचिव

विल्ली का युना हुइ सरकार का शाक्तया पर सुप्राम काट क 1न विल्ली